रजिस्ट्री सं० डी-(डी)—73 REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 14, 1977 (वैशाख 24, 1899)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 14, 1977 (VAISAKHA 24, 1899)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	407
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	621
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	543
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . .	1585
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	1583
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	243
भाग III—खंड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2223
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	433
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	41
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1157
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तया नोटिस	87

1—61 जी आई/77

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	407
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	621
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	543
PART II—SECTION 1.—Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1585
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1583
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	243
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	2223
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta .	433
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	41
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1157
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .	87

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 20 अप्रैल 1977

स० ए०एफ० 12-5/77-एस० पी०-II इस मंत्रालय की अधिसूचना स० एफ० 12-4/75 एस० पी०-II दिनांक 19 सितम्बर, 1976 के क्रम में तथा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 12-4/75-एस० पी० (II), दिनांक 1 जून, 1976 में आंशिक संशोधन करते हुए श्री सिकन्दर बख्त, केन्द्रीय निर्माण आवास और पूर्ति तथा पुनर्वास मंत्री को श्री वी० सी० शुक्ल के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, तत्काल से और 31 मई, 1979 तक राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी तथा इसके शासी मण्डल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है।

ए० एस० नगवार उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 5 अप्रैल 1977

स० एफ० 12/75 स्पो० 1—शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय के संकल्प स० एफ० 1-2/75-स्पो०-1 दिनांक 10 दिसम्बर, 1976 के साथ पढ़े जाने वाले उसी संख्या वाले दिनांक 15 दिसम्बर, 1976 के संकल्प के पैरा 4 (VI) के अनुसरण में श्री एम० आर० कृष्ण, समद सदस्य (राज्य सभा) को तत्काल से 14 दिसम्बर, 1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये अखिल भारतीय खेल परिषद में मनोनीत किया जाता है।

एस० एल० कौशल, अवर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

नई दिल्ली दिनांक 12 अप्रैल 1977

संकल्प

स० पी० एल०-50 (13)/77—ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में, जैसे भारत में है, बैलगाड़ियों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोटर परिवहन की महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, परिवहन की यह पद्धति आने वाले दशकों में अपना महत्व संभवतया बनाए रखेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक ढांचे में इस पद्धति को समझने और बैलगाड़ी के डिजाइन का आधुनिकीकरण करने के लिए 24 दिसम्बर 1976 को एक उच्च स्तरीय अन्तर्विभागीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का समाधान के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय एक संचालन दल का गठन करे जिसमें संबंधित अन्य संगठनों के प्रतिनिधि हों। भारत सरकार ने सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और इसके फलस्वरूप एक संचालन दल गठन करने का निश्चय किया है जिसकी निम्नलिखित संरचना होगी —

(1) महानिदेशक (सड़क विकास) और अतिरिक्त सचिव, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) . अध्यक्ष
(2) निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली . सदस्य
(3) निदेशक भारतीय प्रबंध संस्थान, 33, लगफोर्ड रोड, बंगलौर . ,
(4) निदेशक, (एस० ई०) ग्राम विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली . . ,
(5) निदेशक, (परिवहन) योजना आयोग, नई दिल्ली .
(6) निदेशक (न्यू एनर्जी सोर्सेज), विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग टेक्नालोजी भवन, नई दिल्ली
(7) संयुक्त आयुक्त (एल० पी०) पशु पालन विभाग कृषि मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली .
(8) सहायक महा निदेशक (इंजी०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
(9) मुख्य इंजीनियर (स्टेंडर्डस/रिसर्च) नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष), नई दिल्ली . सदस्य-सचिव

दल, यदि आवश्यक समझे, तो अन्य मंत्रालयों अथवा संगठनों अथवा स्वतंत्र विशेषज्ञों का प्रतिनिधि सहयोजित कर सकता है।

3 दल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार होंगे :—

(क) बैलगाड़ी समस्या के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए एक मास्टर योजना तैयार करना और विभिन्न संगठनों जैसे अनुसंधान संगठन, टायर विनिर्माता आदि द्वारा सूचित प्रगति की सावधिक समीक्षा करना।

(ख) और अनुसंधान करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की जांच करना और जहां आवश्यक हो अपेक्षित धन राशि की व्यवस्था के लिए प्रबंध करना।

(ग) बैलगाड़ी के नये डिजाइन तैयार करने, ऋण सुविधाएं, ग्रीस पावर रिसर्च, सामाजिक-आर्थिक अध्ययन, सड़क क्षमता पर प्रभाव, पटरी डिजाईन और अन्य सड़क डिजाईन तत्वों आदि जैसे संबंधित पहलुओं की जांच करना।

(घ) और कार्यों के लिए सुझाव मांगना।

(ङ) अन्य संबंधित पहलुओं की जांच करना जिन का बैलगाड़ी परिवहन विकास पर प्रभाव पड़ता हो और दल जिसे समुचित समझे।

3 दल का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, परन्तु यह ऐसे अन्य स्थानों पर भी दौरा कर सकता है जिन्हें वह अपने कार्य के संबंध में आवश्यक समझे। केन्द्रीय सरकार को यह आशा है कि राज्य सरकारें स्थानीय प्रशासन और संबंधित निजी संस्थान/पार्टियां दल को ऐसी सभी सहायता देंगी और ऐसी सूचना भेजेंगी जिनकी उन्हें आवश्यकता हो और जो वे मांगें।

4. दल का गठन पांच वर्षों के लिए किया गया है और इसका कार्यकाल केन्द्रीय सरकार की इच्छा से बढ़ाया जा सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों/प्रशासनों, योजना आयोग, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के वित्त प्रभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय, महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, निदेशक, केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, अध्यक्ष, भारतीय रोडज कांग्रेस, निदेशक—भारतीय प्रबंध संस्थान, 33, लांग फोर्ड रोड, बंगलौर, सचिव, ग्राम विकास विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली, संयुक्त आयुक्त (एल० पी०), पशु पालन विभाग, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, 343, कृषि भवन, नई दिल्ली को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगदेव सिंह मड़िया,
महा निदेशक (सड़क विकास) और
अतिरिक्त सचिव

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 अप्रेल 1977

संकल्प

सं० एम०-12017/71/76-डब्ल्यू० ए० (पी० सी०)—ग्रामीण श्रमिकों की जनसंख्या शिक्षा और परिवार कल्याण योजना की समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति गठित की है जिसका गठन इस प्रकार है :—

1. श्री धरनीधर, — अध्यक्ष
श्रम कल्याण के महानिदेशक,
श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. श्री आर एम० आज़ाद, — सदस्य
संयुक्त सचिव,
ग्राम विकास विभाग,
कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय,
नई दिल्ली।

3. श्री जी० एस० बावेजा, — सदस्य
निदेशक,
विस्तार प्रशिक्षण, विस्तार निदेशालय,
कृषि विभाग,
नई दिल्ली।

4. श्री एम० सी० दुबे, — सदस्य
सहायक शिक्षा सलाहकार,
(अनौपचारिक शिक्षा प्रभाग),
शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।

5. श्री आर० वी० श्रीनिवासन, — सदस्य
उप सचिव,
परिवार नियोजन विभाग,
नई दिल्ली।

6. डा० ए० बी० षनमुगम,
प्राध्यापक (संचार),
भारतीय प्रबन्ध संस्थान,
33, लैंगफोर्ड रोड,
बंगलौर-560027। — सदस्य

7. डा० जी० एस० विद्यार्थी,
आयुक्त, उर्वरक,
कृषि विभाग,
नई दिल्ली। — सदस्य

8. श्री पी० के० सेन,
अवर सचिव,
श्रम मंत्रालय,
नई दिल्ली। — सदस्य-सचिव

2. यह समिति आवश्यकतानुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकती है।

3. यह समिति एक असांविधिक निकाय होगी और इसके कार्य अन्य बातों के साथ-साथ ये होंगे :—

(i) ग्रामीण श्रमिकों में छोटे परिवार के मानक का प्रचार करने के लिये ग्रामीण श्रमिक संघों का, जहां कहीं ऐसे संघ विद्यमान हैं, उपयोग करने के बारे में सलाह देना;

(ii) चूंकि श्रमिक शहरों से गांवों तथा गांवों से शहरों में सदा आते-जाते रहते हैं, इसलिये ग्रामीण क्षेत्र में छोटे परिवार के मानक संबंधी अवधारणाओं को बढ़ावा देने के लिये औद्योगिक श्रमिकों का उपयोग करने के बारे में विचार करना;

(iii) जब कभी भी श्रम प्रशासन ग्रामीण श्रमजीवी जन-संख्या के सम्बन्ध में विधान बनाने और कल्याण कार्य करने का काम हाथ में ले, तब जन संख्या शिक्षा और परिवार कल्याण योजना समेत समस्त कार्यों की पुनरीक्षा करना तथा उनका समन्वय करना; और

(iv) ग्रामीण श्रमिकों तथा उनके संगठनों के उपयोग के लिये जन-संख्या और परिवार कल्याण योजना से संबंधित शैक्षिक तथा प्रेरणात्मक सामग्री तैयार करने के बारे में सलाह देना।

4. इस समिति का कार्य-काल इसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। यह समिति आवश्यकतानुसार किसी भी स्थान पर तथा किन्हीं भी अन्तरालों पर अपनी बैठकें आयोजित करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति निम्नलिखित को भेजी जाए :—

(i) समिति के सभी सदस्य।

(ii) सभी संबंधित विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में सामान्य सूचना के लिये प्रकाशित किया जाए।

धरनीधर,
श्रम कल्याण के महानिदेशक,

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 20th April 1977

No F 12-5/77-SP.II —In continuation of this Ministry's Notification No. F-12-4/75-SP II dated the 18th September, 1976 and in partial modification of the Ministry's Notification No F.12-4/75-SP.II dated the 1st June, 1976, Shri Sikander Bakht, Union Minister for Works, Housing & Supply and Rehabilitation, is appointed as the Chairman of the Society for the National Institutes of Physical Education and Sports and of its Board of Governors *vice* Shri V C Shukla resigned, with immediate effect and till the 31st May, 1979.

A S. TALWAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 5th April 1977

No. E 1-2/75-SP 1.—In pursuance of para 4(vi) of the Ministry of Education and Social Welfare Resolution No F 1-2/75-SP 1, dated 15th December, 1976, read with Resolution of the same number dated 30th December, 1976, Shri M. R Krishna, Member of Parliament (Rajya Sabha) is nominated on the All India Council of Sports with immediate effect for a term ending 14th December, 1979.

S L KAUSHAL, Under Secy. (Sports)

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(ROADS WING)

New Delhi, the 12th April 1977

RESOLUTION

No PL-50(13)/77 —Bullock cart has important place in a rural economy like India's This mode of transport is likely to retain its importance in the coming decades, inspite of the considerable progress of motorised transport With a view to understand the role of this mode in the socio-economic fabric of rural areas and to modernise the design of cart, a high level inter-departmental meeting was held on the 24th December 1976 It was recommended at that meeting that for tackling the different aspects of this problem, a Steering Group might be set up by the Ministry of Shipping and Transport with representatives from the other organisations concerned The Govt. of India have accepted the recommendation and have consequently decided to set up a Steering Group with the following composition :—

Chairman

(1) Director General (Road Development) & Additional Secretary, Ministry of Shipping & Transport (Roads Wing).

Members

(2) Director, Central Road Research Institute, New Delhi

(3) Director, Indian Institute of Management, 33, Langford Road, Bangalore.

(4) Director (S E.), Department of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi.

(5) Director (Transport), Planning Commission, New Delhi

(6) Director (New Energy Sources), Department of Science and Technology, Technology Bhawan, New Delhi.

(7) Joint Commissioner (LP), Department of Animal Husbandry, Ministry of Agriculture, Krishi Bhawan, New Delhi

(8) Assistant Director General (Engg) Indian Council of Agricultural Research, New Delhi

Member-Secretary

(9) Chief Engineer (Stds/Research), Ministry of Shipping and Transport, (Roads Wing), New Delhi.

The Group might co-opt representatives from other Ministries or organisations or independent experts as considered necessary.

3. The terms of reference of the Group will be as follows.—

(a) To evolve a master plan for tackling the different aspects of bullock cart problem and take periodical overview of the developments reported by different organisations such as research organisations, tyre manufacturers, etc.

(b) To look into financial requirements for further research and to make arrangements for providing the required funds, where necessary.

(c) To examine allied aspects such as evolution of new bullock-cart designs, credit facilities, draught power research, socio-economic studies, effect on road capacity, pavement design and other road design elements, etc.

(d) To invite suggestions for further works.

(e) To examine any other connected aspect having a bearing on development of bullock cart transport which the Group may consider relevant

3 The Headquarters of the Group will be at New Delhi, but it will be free to visit such other places as it may consider necessary in connection with its work The Central Government hope that the State Governments, Local Administrations and private institutions/parties concerned will afford the Group all assistance it may require and furnish any information which it may call for.

4 The Group is constituted initially for a period of five years and its term may be extended at the discretion of the Central Government.

ORDER

ORDERED that the above Resolution be communicated to all the State Govts/Administrations, the Planning Commission, the Finance Division of the Ministry of Shipping and Transport, Ministry of Agriculture and Irrigation, Ministry of Energy, the Director General, Indian Council of Agricultural Research, the Director, Central Road Research Institute the President, Indian Roads Congress, the Director, Indian Institute of Management, 33, Langford Road, Bangalore, the Secretary, Department of Rural Development, Krishi Bhawan, New Delhi, Joint Commission (LP), Deptt of Animal Husbandry, Ministry of Agriculture and Irrigation, 343, Krishi Bhawan, New Delhi

ORDRED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

J S MARYA
Director General (Road Development) &
Addl. Secy

MINISTRY OF LABOUR

(POPULATION CELL)

New Delhi, the 22nd April 1977

RESOLUTION

No M/12017/71/76-WA(PC) —In order to examine all aspects of the problem of Population Education and Family Welfare Planning amongst the Rural Workers, the Government of India have constituted a Committee with the following composition :—

Chairman

1 Sri Dharni Dhar,
Director General of Labour Welfare,
Ministry of Labour,
New Delhi

Members

2. Sri R. N. Azad,
Joint Secretary,
Department of Rural Development,
Ministry of Agriculture & Irrigation,
New Delhi

3 Sri G S. Baweja,
Director,
Extension Training,
Directorate of Extension,
Department of Agriculture,
New Delhi

4 Sri M C Dubey,
Assistant Education Adviser,
(Non-Formal Education Division),
Department of Education,
New Delhi

5 Sri R V Srinivasan,
Deputy Secretary,
Department of Family Planning,
New Delhi

6 Dr A. V Shanmugam,
Professor (Communication),
Indian Institute of Management,
33, Langford Road,
Bangalore-560027

7. Dr G S Vidyarthi,
Commissioner Fertiliser,
Department of Agriculture,
New Delhi

Member-Secretary

8. Sri P K. Sen,
Under Secretary,
Ministry of Labour
New Delhi

2 The Committee may also co-opt any other person as a Member if considered necessary.

2 The Committee will be a non-statutory body and its functions inter-alia will be —

(i) To advise on utilising rural workers' unions wherever they exist for the purpose of propagating the small family norm amongst the rural workers;

(ii) To consider utilising industrial workers to promote the concepts of a small family norm in the rural sector as there is always to and fro movement of labour between cities and villages,

(iii) To review and coordinate the activities including population education and family welfare planning whenever legislation and welfare related to rural working population is taken up by labour administrations, and

(iv) To advise on the preparation of educational and motivational material on population and family welfare planning for use by the rural workers and their organisations.

4. The life of the Committee will be for a period of one year from the date it is constituted The Committee will meet at such place and at such intervals as it may consider necessary

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to —

(i) All Members of the Committee

(ii) All the concerned Departments.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

DHARNI DHAR.
Director General of Labour Welfare

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977